रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2006/पौष 27, 1927
No. 43] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2006/PAUSA 27, 1927

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2006

सं. 39 (आर ई-2005)/2004—2009

का.आ. 47(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22वाँ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैरा 5.1 के उप-पैरा "ई पी सी जी स्कीम के तहत पुराने पूँजीगत माल चाहे वह कितना भी पुराना हो का भी आयात किया जा सकता है" के बाद पैरा 5.1 के उप-पैरा को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"तथापि, मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों/आल परपज वाहनों के आयात की अनुमति केवल उन्हीं होटलों, ट्रेवल एजेण्टों, टूर आपरेटरों अथवा टूर ट्रांसपोर्ट आपरेटरों तथा उन कम्पनियों को दी जायेगी जिनके पास गोल्फ रेसार्ट का स्वामित्व/संचालन हों तथा जिनकी होटल यात्रा और पर्यटन तथा गोल्फ पर्यटन क्षेत्रों से चालू तथा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रुपये या अधिक है। मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों/आल परपज वाहनों के आयात के लिए एक लाइसेंसिंग वर्ष में जारी ऐसे सभी ई पी सी जी लाइसेंसों पर "बचाये गये शुल्क" की रकम पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में होटल, यात्रा और पर्यटन तथा गोल्फ पर्यटन क्षेत्रों से प्राप्त औसत विदेशी मुद्रा अर्जन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, मोटर कार, स्पोटर्स यूटिलिटी वाहनों/आल परपज वाहनों के पार्टस जैसे चेसिस आदि, को ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात नहीं किया जा सकता है।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/162/46/ए एम 06/पी सी-1]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2006

No. 39 (RE-2005)/2004—2009

S.O. 47(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments :

1. The sub-paragraph of Para 5.1 after the sub-paragraph "Second hand capital goods without any restriction on age may also be imported under the EPCG scheme" of Para 5.1 will be amended to read as follows :

"However, import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators and companies owning/operating golf resorts whose total foreign exchange earning from the hotel, travel and tourism and golf tourism sectors in the current and preceding three licensing years is Rs. 1.5 crores or more. The 'duty saved' amount on all EPCG licences issued in a licensing year for import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall not exceed 50% of the average foreign exchange earnings from the hotel, travel and tourism and golf toursim sectors in the preceding three licensing years. However, the parts of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles such as chassis etc. cannot be imported under the EPCG Scheme."

2. This issues in public interest.

[F. No. 01/94/162/46/AM06/PC-1]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.